फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले 72 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज

प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर 72 कर्मचारियों की भर्ती में गंभीर अनियमितताएं पाई

- जांच में खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा संदिग्ध शिक्षक जालोर जिले से सामने आए हैं। इनमें से कुछ 2016 और 2021 की भर्तियों में चयनित हुए थे और वर्तमान में विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं
- कई उम्मीदवारों ने 2016, 2018 और 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के सहारे सरकारी नौकरी प्राप्त करने विभिन्न जिलों में कार्यरत 72 शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के निर्देशों पर की गई है, जो कि पिछले पांच वर्षों में हुई शिक्षकों की भर्तियों की व्यापक जांच के बाद सामने आई है।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने पिछले वर्ष आदेश जारी कर सभी विभागों को निर्देशित किया था कि वे वर्ष 2019 से 2024 के बीच नियुक्त हुए कर्मचारियों की शैक्षिणक योग्यता, आवेदन पत्र, फोटो और हस्ताक्षरों का मिलान करते हुए सत्यापन करें। इस आदेश के तहत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने संभाग स्तर पर चार सदस्यीय जांच समितियां गठित कीं। इन समितियों ने बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर 72 कर्मचारियों की भर्ती में गंभीर अनियमितताएं पाईं।

जांच रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ है कि कई उम्मीदवारों ने 2016, 2018 और 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। कुछ मामलों में तो डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाया गया। जांच में फोटो, हस्ताक्षर और रीट पात्रता प्रमाण पत्रों में विसंगतियां सामने आईं।

जांच में खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा संदिग्ध शिक्षक जालोर जिले से सामने आए हैं। इनमें से कुछ 2016 और 2021 की भर्तियों में चयनित हुए थे और वर्तमान में विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। एसओजी ने 72 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरकारी योजना के नाम पर ठगी कर जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार

- आरोपी ने दो से अधिक सन्तान होने पर तीसरी सन्तान बेटी का दस्तावेजो में लोप किया जाने के लिये आरोपी ने स्वंय के समान नाम के व्यक्ति व महिला के नाम का किया उपयोग

जयपुर। राजर्षि राज आई.पी.एस पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) जयपुर ने बताया की दिनांक 11-02-2017 में परिवादी ओम प्रकाश साहु पुत्र रामनिवास साहू जाती तेली उम्र 48 साल निवासी ग्राम जीवद थाना बाटोदा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर ने जरिये इस्तगासा न्यायालय एसीजेएम क्रम 08 जयपुर महानगर प्रथम के मार्फत पुलिस थाना ज्योतिनगर जयपुर में एक रिपोर्ट भिजवायी की एक कृपाल नाम के अज्ञात शक्स ने मुझे व मेरी बेटीयो को बीपीएल कार्ड धारक होने पर सरकारी सहायता दिलवाने की नाम पर मेरी बेटी कोमल का जन्म प्रमाण पत्र आरोपी ने स्वयं की बेटी के जन्म स्थान व जन्म दिनांक अंकित किया जाकर मेरी बेटी कोमल के नाम से कुटरचित जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाकर दुर उपयोग किया गया है। इस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

ओमप्रकाश मीना द्वारा सरपंच पद का चुनाव लडने के लिये जयपुर में रहने वाले स्वयं के नाम व स्वंय की पत्नि के समान नाम वाले परिवादी ओमप्रकाश साहु व उसकी पत्नि गायत्री देवी की लडकीयो को सरकारी सहायता राशि दिलाने के नाम पर परिवादी ओमप्रकाश साहु के साथ धोखाधडी करके उसकी पुत्री कोमल का जन्म बरनाला राजकीय प्राथमिक अस्पताल व जन्म दिनांक 27-08-2009 का ज्ञात किया जाकर ओमप्रकाश ने स्वयं की बेटी लक्ष्मी के जन्म दिनांक 27-10-2008 व जन्म स्थल सैटेलाईट अस्पताल सेठी कॉलोनी जयपुर के स्थान पर परिवादी की बेटी कोमल का जन्म स्थान व जन्म दिनांक दर्शाकर धोखाधडी कर जन्म पत्र आवेदन फार्म पर परिवादी से हस्ताक्षर करवाकर नगर निगम मोती डुगंरी जोन 03 जयपुर में रजिस्ट्रेशन न.108064437 पर परिवादी की बेटी कोमल का जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाया। जिस पर राजकिय सैटेलाईट अस्पताल सैठी कॉलोनी से आरोपी की पत्नि गायत्री देवी के डिलेवरी भर्ती दिनांक व बच्ची के जन्म उपरान्त डिस्चार्ड व प्रस्तु को मिलने वाली 1000/- रुपये सहायता राशि प्राप्ती दस्तावेज व नगर निगम मोती डुंगरी जोन 03 में आरोपी की पुत्री लक्ष्मी के जन्म रजिस्ट्रेश दस्तावेज प्राप्त किये गये तथा परिवादी के पुत्री कोमल के राजकीय प्राथमिक अस्पताल बरनाला से दस्तावेज प्राप्त किये। ओमप्रकाश मीना द्वारा बेटी लक्ष्मी का दस्तावेजी रिकोर्ड में लोप किया जो षडयन्त्र पुर्वक परिवादी के साथ धोखाधडी कर तथ्यो का लोप कर फर्जी व कुट रचित जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, सरपंच पद के आवेदन में तथ्य छिपाया जिस पर ओमप्रकाश को धारा 420,467,468,471,120बी में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर बापर्दा गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। तथा वर्तमान में न्यायीक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

लैटिन अमेरिकी देशों के 24 कंटेंट क्रिएटर्स ने उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात

जयपुर। विदेश मंत्रालय की जन कूटनीति पहल के तहत भारत भ्रमण पर आए लैटिन अमेरिकी देशों के 24 कंटेंट क्रिएटर्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज सिटी पैलेस में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से शिष्टाचार भेंट की। यह प्रतिनिधिमंडल ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, पनामा, कोस्टा रिका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद-टोबैगो और जमैका जैसे देशों से आया है। 9 से 15 अगस्त तक राजस्थान प्रवास के दौरान ये सभी भारत की समृद्ध विरासत, जीवंत संस्कृति और विविधतापूर्ण जीवन शैली से रूबरू हो रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की पहलों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार होता है।

उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को राजस्थान की कला, स्थापत्य और आतिथ्य परंपरा से अवगत कराया और उनके अनुभव जानने में रुचि दिखाई।

'जयपुर में 6 अक्टूबर को 50 हजार किसान भरेंगे हुंकार '

- एक गांव से औसत एक किसान प्रतिनिधि के अनुसार राजस्थान के 45,539 गांव से 50,000 किसान इस रैली में भागीदारी करेंगे

जयपुर । प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक सेंट्रल पार्क जयपुर में संपन्न हुई। जिसमें 7- 8 जून को आयोजित हुई प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में "खेत को पानी, फ़सल को दाम, युवाओं को काम" के लिए 6 अक्टूबर को "अन्नदाता हुंकार रैली" की अब तक की तैयारी की समीक्षा की तथा आगामी 55 दिनों के लिए रणनीति तैयार की। एक गांव से औसत एक किसान प्रतिनिधि के अनुसार राजस्थान के 45,539 गांव से 50,000 किसान इस रैली में भागीदारी करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका की धमकियों से कृषि क्षेत्र को अमेरिका के व्यापार के लिए खोलने को किसान हितों के विरुद्ध बताया। भारत सरकार द्वारा अमेरिका की धमकियों के सामने नहीं झुकने को दृढ़ता के साथ खड़े रहने को देश के लिए अच्छा कदम निरूपित किया।

इसी के साथ दूसरा प्रस्ताव कृषि सहित विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बाध्यकरने की आलोचना की तथा इसे स्वेच्छिक रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोतास बोहरा, प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, महामंत्री सुंदरलाल भावरिया, प्रदेश संगठन मंत्री गोवर्धन तेतरवाल, प्रदेश मंत्री मनजिंदर सिंह अटवाल एवं महेश जाखड़, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश बिजारणिया, युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, खैरथल-तिजारा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र क्रांतिकारी, तहसील मुंडावर के अध्यक्ष रामभरोस यादव, तहसील हरसोली के अध्यक्ष थानेदार शेर सिंह दहिया, तहसील बहरोड़ के अध्यक्ष राम सिंह, जिला अध्यक्ष हिंडौन भरत डागुर, महामंत्री वेद प्रकाश शर्मा, टोंक जिला अध्यक्ष गोपी लाल जाट, अलवर जिला अध्यक्ष फूल सिंह, बारां जिला अध्यक्ष नरेंद्र चौहान आदि ने भाग लिया।

देवनानी ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किये

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को सपरिवार द्वारका में स्थित पवित्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना का सौभाग्य प्राप्त किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, श्रद्धालुओं के लिए आस्था, आध्यात्मिक शांति और दिव्य शक्ति का अद्वितीय केंद्र माना जाता है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 59/2025

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री करन शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास श्री स्वामी रामप्रकाश भजन दास ट्रस्ट नथमल जी चौक, जौहरी बाजार, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 22 जयपुर 2006 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास श्री जनकराज साख्यांन का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर स्वयं का नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने के लिए प्रपत्र -8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइन्दा तारीख पेशी 14.08.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 60/2025

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री करन शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास श्री स्वामी रामप्रकाश भजन दास ट्रस्ट नथमल जी चौक, जौहरी बाजार, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 29 जयपुर 2003 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास श्री जनकराज साख्यांन का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर स्वयं का नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने के लिए प्रपत्र -8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइन्दा तारीख पेशी 14.08.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राज.कॉलेज में 12 अगस्त को एनसीसी कैडेट्स की भर्ती

जयपुर। विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज की प्रथम राज आर्म्ड स्क्वाड्रन एनसीसी यूनिट में शैक्षिणक सत्र 2025-26 हेतु कैडेट्स की भर्ती 12 अगस्त, मंगलवार को प्रात: 7 बजे से राजस्थान कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में होगी। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राम मधुकर शर्मा ने बताया कि विगत वर्षों से एनसीसी कैडेट के रूप में आर्म्ड यूनिट में भर्ती होना विद्यार्थियों की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय व स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लें। एनसीसी ऑफिसर मेजर राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि भर्ती में वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने इस सत्र में राजस्थान कॉलेज में बी.ए. प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया है और जिनके पास फीस रसीद की फोटोकॉपी एवं किसी भी मान्य फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज आईडी आदि) उपलब्ध हो।एनसीसी कैडेट बनना न केवल अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को विकसित करता है, बल्कि यह देश सेवा का अवसर भी प्रदान करता है। एनसीसी प्रशिक्षण से युवाओं में शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और टीम भावना का विकास होता है। साथ ही, रक्षा सेवाओं में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एनसीसी प्रमाणपत्र अतिरिक्त योग्यता के रूप में सहायक सिद्ध होता है।

बस्सी में सोमवार से शुरू होगी सेक्स-सॉर्टेड सीमेन लैब

जयपुर। जिले के बस्सी में संचालित सीमन स्टेशन में सोमवार, 11 अगस्त-2025 को अपराह्न तीन बजे सैक्स सोर्टेड सीमन तैयार करने वाली अत्याधुनिक लैब का उदघाटन होगा। यह उदघाटन समारोह नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के चैयरमैन डॉ. मिनेश शाह, राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत तथा राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन डॉ. समित शर्मा, आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्धाज की गरिमामयी उपस्थिति में टोंक रोड, जयपुर स्थित आरसीडीएफ सभागार में आयोजित किया जाएगा।